

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 134/2023

डॉ. रूचिका पंवार

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, योग एवं नेचूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
4. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अलवर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.01.2023

आदेश की दिनांक : 23.01.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री पी.सी. शर्मा एवं श्री विश्वास सैनी, अभिभाषक  
प्रत्यर्थागण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, तिजारा, अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.11.2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 28.12.2022 (अनुलग्नक-1 व 2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद योगा एवं नेचुरोपैथी कॉलेज, केकडी, अजमेर में व्याख्याता के पद पर किया गया है, जो चार माह की अल्पावधि में ही बिना किसी प्रशासनिक कारणों के किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.01.2023 के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। उनका कथन है कि ऐसी अल्पावधि में जारी किए गए स्थानान्तरण आदेशों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अनुचित माना है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण उसकी सहमति के

बगैर किया गया है। अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 350 कि.मी. दूर किया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत जारी किया गया है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 28.11.2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 28.12.2022 (अनुलग्नक-1 व 2) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 05.01.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी स्नात्कोत्तर उपाधिधारी विभागीय चिकित्साधारी है और इस आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जिसमें किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जनहित कारणों से किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, तिजारा, अलवर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 350 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण व्याख्याता के पद पर किए जाने का प्रश्न है। हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी स्नात्कोत्तर उपाधिधारी है और ऐसे कार्मिकों को ही विभागीय चिकित्साधिकारियों को अग्रिम आदेश तक कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्मिक की सेवाएं कहीं पर भी ले सकती है। इस प्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य